



बिहार लोक सेवा आयोग  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या— 29 / 2024 एवं 30 / 2024 के अंतर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं उप-प्राचार्य, प्राचार्य के पदों हेतु प्रारंभिक (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना

1. अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित “आवश्यक निर्देश” को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरश: अनुपालन करें।
2. अभ्यर्थी e-Admit card डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि Roll No. के समक्ष Bar-Code निश्चित रूप से अंकित रहे। Bar-Code अस्पष्ट/अंकित नहीं रहने पर पुनः Browser बदलकर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिये गये फोटो-पहचान पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। Ex-यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है तो परीक्षा में प्रवेश के लिए केवल आधार कार्ड ही मान्य होगा, अन्य पहचान पत्र यथा Driving license, Pan Card, Voter-Id etc. मान्य नहीं होगा।
4. OMR Answer Sheet (उत्तर-पत्र) में Question Booklet का Series अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR Answer Sheet में Question Booklet की संख्या लिखेंगे एवं Roll No. (अनुक्रमांक) का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गयी है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उनकी पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन में किये गये प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जाँच/सत्यापन के पश्चात् उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जाँच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर, जहाँ परीक्षा होनी है, में मोबाइल, ब्लुटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर Wrist Watch (सामान्य/Smart) आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

नोट:— कदाचार करते हुए पाये जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा।

13.04.2024  
अपर सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।